संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2022-....5780......../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:–21-05-2025

विषय:– **सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प सं०–12282/वि०, दिनांक–15/11/2024 एवं संकल्प संख्या–12283, दिनांक–15/11/2024 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01/07/2024 के प्रभाव से 53% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/1(1)/2025-E.II(B), दिनांक–02/04/2025 एवं ज्ञाप सं०–42/02/2024-P&PW(D), दिनांक– 11/04/2025 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 53% से बढ़ाकर 55% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2025 के प्रभाव से 53% के स्थान पर 55% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे–मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

21/5/25
(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2022 –5780/**वि०** पटना, दिनांकः–21-05-2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25
(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2022 –5780/**वि०** पटना, दिनांकः–21-05-2025

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25
(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—01 / 2022 — 5780 / **वि०** पटना, दिनांकः— 21-05-2025

प्रतिलिपिः—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—01 / 2022 — 5780 / **वि०** पटना, दिनांकः— 21-05-2025

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग / सिस्टम एनालिस्ट (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—01 / 2022— 5780 / **वि०** पटना, दिनांकः— 21-05-2025

प्रतिलिपिः—सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया**, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना / क्षेत्रीय प्रबंधक, **केनरा बैंक**, एक्जीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना / क्षेत्रीय प्रबंधक, **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक—ए, पटना / क्षेत्रीय प्रबंधक, **यूको बैंक**, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक—ए, पटना / क्षेत्रीय प्रबंधक, **इलाहाबाद बैंक**, बुद्ध मार्ग, पटना / क्षेत्रीय प्रबंधक, **पंजाब नेशनल बैंक**, चाणक्या प्लेस, आर० ब्लॉक, पटना / क्षेत्रीय प्रबंधक, **यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया**, प्रथम मंजिल, मजरूल, नशेमान भवन, फ्रेजर रोड, बुद्धमार्ग, पटना—01 / रिजनल मैनेजर, **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया**, फ्रेजर रोड, पटना / क्षेत्रीय प्रबंधक, **बैंक ऑफ इण्डिया**, आर० ब्लॉक, चाणक्य टावर, पटना / **इंडियन बैंक**, फील्ड जेनरल मैनेजर ऑफिस, प्रथम तल, **इंडियन बैंक**, एफ०जी०एम०ओ० बिल्डिंग, कोतवाली थाना के नजदीक, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः—3ए—3—भत्ता—01 / 2022 — 5780 / **वि०** पटना, दिनांकः— 21-05-2025

प्रतिलिपिः—प्रभारी ई—गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2022 – 5780/**वि०** पटना, दिनांकः– 21-05-2025

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक–16.05.2025** के **मद संख्या–23** में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।